



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-123

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 270627 दिनांक 08/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vishal Kumar Meena S/o Chanda Lal Meena	गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार प्रभात कुमार पालीवाल	27	83.69 SQ. METER	Private	PRITHVI ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना पृथ्वी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 83.69 वर्ग मीटर की लीजडीड दिनांक 02.10.2021 को गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार प्रभात कुमार पालीवाल के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात गुलमोहर डवलपर्स जरिये साझेदार प्रभात कुमार पालीवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वाई एस वी कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री कल्याण चांदवानी पुत्र श्री मेघराज चांदवानी को कर दिया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

तत्पश्चात वाई
एस वी
कन्सट्रक्शन
प्रा0लि0 जरिये
निदेशक श्री
कल्याण चांदवानी
द्वारा उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
21.06.2023 के
द्वारा श्री विशाल
कुमार मीना पुत्र
श्री चन्दा लाल
मीना को कर
दिया गया।
आवेदक श्री
विशाल कुमार
मीना द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vishal Kumar Meena S/o Chanda Lal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।